कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा

समाहरणालय परिसर, बिकास भवन–बी0, गढ़वा

फोनः– 06561–223772, फैक्सः– 06561–223772, ई–मेल– rmsagarhwa@rediffmail.com

गढ़वा जिले के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय में अस्थायी व्यवस्था के तहत् नियत मानदेय पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक चयन हेतु विज्ञापन

राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पत्रांक 12/य.1-26/2011/515 दिनांक 27.10.2016 के अनुपालन में जिले के सभी 14 कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के लिए निम्नवत् 9 विषयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत नियत मानदेय पर किया जाना है। इन शिक्षकों की योग्यता एवं अर्हता वही होगी जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अस्थायी व्यवस्था के तहत् नियत मानदेय पर रखे जाने वाले स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की है। यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2017 तक लागू रहेगी तथा दिनांक 01.04.2017 से स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत् कार्य हेतु रखे जाने वाले भविष्य में शिक्षक पद पर स्थायी नियुक्त का दावा नहीं कर सकते तथा इस आशय का शपथ पत्र देने के बाद ही उन्हें कार्य पर रखा जाएगा। शिक्षक के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति द्वारा शिक्षक का चयन किया जाएगा।

विषयवार रिक्ति विवरणी

क्र. सं.	आवेदित पद का नाम	कोटि / रिक्ति	न्यूनतम अनिवार्य योग्यता	नियत परिलब्धि (रूपये में)
1.	हिन्दी शिक्षक	**कुल पद – 14** अनारक्षित 07 अनु0 जा0 03 अनु0जन0जा0 02 अत्यंत पि0वर्ग 01 पिछड़ा वर्ग 01	**01. शैक्षणिक अहर्त्ताः**– मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर। **2. प्रशैक्षणिक अहर्त्ताः**– मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी0एड0 उत्तीर्ण।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अस्थायी व्यवस्था के तहत् स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को दिया जाने वाला नियत मानदेय देय होगा।
2.	अंग्रेजी शिक्षक	तथैव		
3.	गणित शिक्षक	तथैव		
4.	रसायन शास्त्र शिक्षक	तथैव		
5.	भौतिकी शिक्षक	तथैव		
6.	जीव विज्ञान शिक्षक	तथैव		
7.	अर्थशास्त्र शिक्षक	तथैव		
8.	इतिहास शिक्षक	तथैव		
9.	भूगोल शिक्षक	तथैव		

पात्रता की अन्य शर्ते / चयन की प्रक्रिया :–

01. भारत के नागरिक हों।
02. आयुः– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप की जाएगी।
03. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार **" झारखण्ड में स्थानीय निवासी"** की परिभाषा एवं पहचान के आधार पर चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
04. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2020 दिनांक 09.04.2010 के अनुसार जिले के लिए लागू आरक्षण रोस्टर के अनुरूप चयन किया जाएगा। आरक्षण का लाभ मात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही देय होगा।
05. चयन, वरीयता क्रम / चयन समिति के निर्णयानुसार किया जाएगा।
06. चयन पूर्णतया अस्थायी होगा।
07. एक से अधिक पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को अलग–अलग आवेदन जमा करना आवश्यक होगा।
08. आवेदन विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप में ही देना होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
09. आवेदन लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम तथा आवेदक का कोटि लिखा होना आवश्यक है।
10. विहित प्रपत्र में भेजा गया आवेदन पत्र सिर्फ निबंधित डाक द्वारा **जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गढ़वा विकास भवन–बी, प्रथम तल, समाहरणालय परिसर, कचहरी रोड, गढ़वा, पिन– 822114** के पते पर **दिनांक 09.11.2016 के अपराह्न 5:00 बजे (कार्यालय अवधि) तक** अवश्य प्राप्त होना चाहिए। डाक विभाग द्वारा किये गये विलंब के लिए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा

समाहरणालय परिसर, बिकास भवन–बी0, गढ़वा

फोनः– 06561–223772, फैक्सः– 06561–223772, ई–मेल– rmsagarhwa@rediffmail.com

11. निर्धारित शर्तों को शिथिल, रद्द एवं संशोधन अथवा चयन प्रक्रिया को कभी भी स्थगित/निरस्त करने का अधिकार उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गढ़वा में निहित होगा।
12. अभ्यर्थियों के चयन एवं प्रतीक्षा सूची निर्माण में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
13. प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिये वैद्य होगा, इस बीच पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से रिक्त पद भरा जाएगा।
14. आवेदन पत्रों के साथ निम्न दस्तावेज (स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
    - आवासीय प्रमाण पत्र (नियोजन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उनसे ऊपर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत)
    - जाति प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए मान्य एवं अनुमण्डल पदाधिकारी या समकक्ष द्वारा निर्गत)।
    - सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    - माध्यमिक परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र (जन्म तिथि हेतु)।
    - अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो)।
    - आवेदन के साथ दो अतिरिक्त रंगीन पासपोर्ट साईज स्व–अभिप्रमाणित फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।
15. आवेदन पत्र जिला के वेबसाईट http//:garhwa.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

29/11/16

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गढ़वा।

ह0 अ0
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गढ़वा।

कार्यालय उपयोग हेतु	
क्र.सं.	

आवेदन प्रपत्र का प्रारूप

स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक/आवेदिका का नाम : ....
3. पिता/पति/अभिभावक का नाम : ....
4. कोटि :– 5. लिंग–
6. जन्म तिथि :– आयु दिनांक 01.01.2016 को वर्ष ..... माह ....दिन.........
7. स्थायी पता : ....
   जिला :..............................राज्य .... पिनः ☐☐☐☐☐☐
8. पत्राचार का पता :..............................
   जिला :..............................राज्य .... पिनः ☐☐☐☐☐☐
09. दूरभाष/मोबाईल संख्या : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
10. शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक योग्यता : (सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र0 सं0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	विषय	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी

11. संबंधित क्षेत्र में यदि कोई अनुभव हो तो :–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर दण्डात्मक एवं अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी।

दिनांक : ....
स्थान : ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर